



राज्यपाल सचिवालय, बिहार  
राजभवन, पटना-800022

पत्रांक-एम.यू.(Leave)- 05/2019-1880/रा.स.(I)

दिनांक-23.11.2021

अधिसूचना

प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ने अपने पत्रांक VC-Res-63/2021, दिनांक 23.11.2021 द्वारा दिनांक 24.11.2021 से 23.12.2021 तक चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु अनुरोध किया है। उक्त अनुरोध के आलोक में माननीय कुलाधिपति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न आदेश देने की कृपा की गई है:-

1. प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को दिनांक 24.11.2021 से 23.12.2021 तक चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृति के साथ मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है।
2. उक्त चिकित्सकीय अवकाश अवधि में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) की धारा-13 में प्रदत्त शक्ति के अधीन प्रो. विभूति नारायण सिंह, प्रति-कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को प्रभारी कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यों को करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इस सचिवालय द्वारा निर्गत पत्रांक-BSU(Directive)-45/2019-726/GS(I), दिनांक-08.05.2020 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

माननीय कुलाधिपति के आदेश से,

ह./-

(राज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव

दिनांक-23.11.2021

ज्ञापांक-एम.यू.(Leave)- 05/2019-1880/रा.स.(I)

प्रतिलिपि:-

- (1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) प्रो. विभूति नारायण सिंह, प्रति-कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- (3) कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह./-

(राज कुमार सिन्हा)

ज्ञापांक-एम.यू.(Leave)-05/2019-1880/रा.स.(1)

दिनांक-23.11.2021

प्रतिलिपि:-राज्यपाल के आप्त सचिव/राज्यपाल के सचिव के आप्त सचिव/जन-सम्पर्क पदाधिकारी, राजभवन, को सूचनार्थ प्रेषित/प्रभारी, NIC, राजभवन को राजभवन के Website पर Upload करने के लिए निदेशित किया जाता है।

  
संयुक्त सचिव